राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नागौर
Office Of the Mining Engineer, Department Of Mines&Geology,Nagaur
(Phone No. 01582-240038, E-Mail –me.nagour@rajasthan.gov.in

प्रेस विज्ञप्तिः–

नागौर जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैंकिग के दौरान जब्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदाएं (दरें) दिनांक 15.10.2020 (सांय 5 बजे तक) कार्यालय खनि अभियंता, नागौर के कमरा नम्बर 02 में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सिलबंद लिफाफे कमेठी द्वारा दिनांक 16.10.2020 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 02 में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.स.	स्थान का नाम(जहां जब्तशुदा बजरी पड़ी है।)	बजरी की अनुमादित मात्रा(टनों में)	बयाना/अमानत राशि रू	न्यूनतम निविदा राशि रू
1.	पुलिस थाना, खुनखुना	440 टन	17,160/–	171,600/–

निलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगीः–

1. निविदा सीलबन्द लिफाफें में प्रस्तुत करनी होगी । लिफाफें पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षेत्र/स्थल का नाम जहां बजरी पडी है, लिखा होना चाहिये। सभी निविदायेंक कार्यालय खनि अभियन्ता, नागौर के कमरा नम्बर 02 पर रखें टेन्डर बोक्स में दिनांक 15.10.2020 (सांयकाल 5 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बेकर्स चैक जो संबंधित खनि अभियन्ता, नागौर के नाम हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग–अलग थाना परिसर/चौकी/स्थल की बजरी के लिए निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट / बेकर्स चैक अलग–अलग की संलग्न करने होगे । निविदा राशि 10 रू प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल पर की जा सकती है। इसकी जानकारी कार्यालय खनि अभियन्ता, नागौर के तकनिकी स्टाफ से ली जा सकती है।
5. जब्तशुदा बजरी संबंधित थानि/चौकी/क्षेत्र/स्थल में जेसी भी जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपूर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदायें कमेटी द्वारा दिनांक 16.10.2020 को प्रातः 11 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय खनि अभियन्ता, नागौर के कमरा नम्बर 02 में खोली जाकर उच्चतम निविददाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्यदिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि के डीडी के साथ–साथ संबंधित बजटमद में जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी। राशि जमा होने की तिथी से 5 एवं अधिकतम् 6 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा बयाना/अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।

7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चें) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वालाल समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा ।
8. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म कें मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पन्नी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ अर्टिकल, निवेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पस सुरक्षित होगा एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिम क्षेत्र नागौर होगा।
11. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, नागौर द्वारा वाहन के वनज क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेंगे तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
12. सफलतम निविदादाता को बजरी परिवहन हेतु अवधि 5 दिवस सहित अधिकतम् 6 दिवस ही अन ुमत होगा।
13. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तद्नुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
14. तुलाई के बाद वाहनों निर्गमन से पूर्व उनका इंद्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बेलेन्स की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता एवं अधीक्षण खनि अभियंता(सतर्कता) को व्हाट्सअप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
15. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुला यंत्र की वनज पर्ची क्षेत्र में संबंधित उपर अंकित अधिकारियों को व्हाटसअप पर भेजन के पश्चात ही वाहनों को रवन्ना किया जा सकेगा।
16. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा।सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।
17. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटों वाहनों की तोल पर्चियां एवं भर हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
18. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इस में सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
19. सफल निविदादाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
20. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
21. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
22. शेष सभी शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

खनि अभियंता
खान एवं भू–विज्ञान विभाग
नागौर

क्रमांकः—सम/1203-15 दिनांकः—30.09.2020

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, नागौर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, नागौर।
3. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, निदेशालय, उदयपुर।
4. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., खान एवं भू—विज्ञान विभाग निदेशालय, उदयपुर। वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जयपुर—जोन, जयपुर।
6. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता, अजमेर—वृत, अजमेर।
7. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियंता(सतर्कता),अजमेर।
8. उपखण्ड अधिकारी,डीडवाना।
9. तहसीलदार, डीडवाना।
10. खनि अभियंता(सतर्कता), नागौर।
11. थानाधिकारी, पुलिस थाना, खुनखुना।
12. सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
13. तकनीकी स्टाफ नागौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

खनि अभियंता
खान एवं भू—विज्ञान विभाग
नागौर